2011/00013

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कोर्ट कैम्प शिव

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 43/2011

प्रार्थी — बनाम् — **अप्रार्थीगण**

सांगाराम पुत्र मुलतानाराम
जाति गवारिया निवासी
भीयांड तहसील,शिव

1.चम्पादेवी पत्नि
भाखराराम जाति गवारिया
निवासी भीयांड तहसील,
शिव
2.ग्राम पंचायत भीयाड़
जरिये सरपंच ग्राम पंचायत
भीयाड़ तहसील,शिव

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनिय,1994 निरस्त करने पट्टा संख्या 11 दिनांक 06.11.2009 जो ग्राम पंचायत भीयाड़ द्वारा अप्रार्थीनी सं. 01 चम्पादेवी के नाम जारी किया गया।

उपस्थितः–1. प्रार्थी एंव अधिवक्ता उपस्थित।
2. अप्रार्थीनी सं. 01 अनुपस्थित,अप्रार्थीनी के अधिवक्ता उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 21.6.2016

1. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीनी संख्या 01 चम्पादेवी ने सरपंच ग्राम पंचायत भीयांड़ के समक्ष एक आवेदन पत्र पेश इस आशय का पेश किया कि ग्राम पंचायत भीयांड की आबादी भूमि में उसका पुश्तैनी पीढियों से कब्जा सुदा भूखण्ड है जिसका पुराने गृहों के विनियमितिकरण नियम 157(ख) के तहत पट्टा बनाना चाहती हूँ इसलिये इस भूखण्ड का नियमानुसार पट्टा जारी करावे। इस पर ग्राम पंचायत भीयांड ने मिसल कायम कर अप्रार्थीनी चम्पादेवी के नाम नियम 157(1)(ख) के तहत संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.11.2009 के अनुसरण में पट्टा संख्या 11 दिनांक 06.11.2009 को जारी किया गया। प्रार्थी का यह कथन है कि जिस भूमि पर पट्टा जारी किया गया है और इस भूमि का बेचान प्रार्थी को अप्रार्थीनी के पुत्र मूलार।म पुत्र भाखराराम ने जरिये ईकरारनामा दिनांक 05.07.1999 को किया था। प्रार्थी ने इस विक्रय विलेख पट्टा की भूमि को अपने स्वामित्व व आधिपत्य एंव गलत व नियम विरूद्ध जारी होना बताते हुए अप्रार्थीनी संख्या 01 के

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पक्ष में जारी इस पट्टा को खारिज करने हेतु यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।

2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को कारण बताओ जारी किये एंव ग्राम पंचायत भींयाड़ से पट्टा से सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब किया। पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की।

3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट शिव में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभयपक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। प्रार्थी एंव अधिवक्ता उपस्थित रहे। अप्रार्थीनी संख्या 01 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रही। अप्रार्थीनी के अधिवक्ता उपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 02 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहा।

4. हमने उभय पक्ष को सुना। प्रस्तुत लिखित बहस एंव ग्राम पंचायत भीयाड़ से प्राप्त रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीनी संख्या 01 चम्पादेवी के पक्ष में जारी पट्टा को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की हैं। प्रार्थी का यह कथन है कि जिस भूमि पर पट्टा जारी किया गया है उस भूमि का बेचान प्रार्थी को अप्रार्थीनी के पुत्र मूलाराम पुत्र भाखराराम ने जरिये इकरारनामा दिनांक 05.07.1999 को किया है। विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में दोनो पक्षों द्वारा बहस में जो तथ्य प्रकट किये गये है उससे भी यह पाया जाता है कि जिस भूखण्ड को लेकर पट्टा जारी किया गया है उस पर दोनो पक्षो में विवाद चल रहा है। विवादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित यह विवाद दीवानी प्रकृति का है,और इस सम्बन्ध में अप्रार्थीनी द्वारा सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन होना बताया है। ऐसी स्थिति में इस बिन्दु के निर्धारण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। प्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थीनी संख्या 01 के हक मे जारी पट्टा ग्राम पंचायत ने नियम विरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया हैं। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 01 चंपादेवी ने भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत भीयांड़ के समक्ष आवेदन पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। सरपंच ने इस आवेदन को पंचायत की बैठक में रखने के आदेश दिये हैं। जिस पर मिसल कायम की गई है। मौका कमेटी से मौका रिपोर्ट मंगवाने के आदेश हुए है। जिस पर मौका निरीक्षण कमेटी से रिपोर्ट प्राप्त की हैं। मौका कमेटी ने नियम 146

जिला कलक्टर
बाड़मेर

मे वर्णित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट दी है। तत्पश्चात् नियम 148 के तहत निर्धारित प्रारूप में एक माह का नोटिस जारी कर चस्पा कराया हैं नोटिस के साया होने से आपतियां आमंत्रित की गई हैं। मगर किसी भी व्यक्ति ने इस सम्बन्ध में कोई आपति पेश नहीं की है। तत्पचात् प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.11.2009 को नियम 157(1)(ख)के तहत पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया। इस पर अप्रार्थीनी संख्या 01 को दिनांक 06.11.2009 को पट्टा संख्या 11 जारी किया गया। इन नियमो के परिपेक्ष्य में अप्रार्थीनी द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में दर्शाये गये पड़ोस व नाप के अनुरूप ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकार्ड से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि ग्राम पंचायत भीयांड़ ने निर्धारित प्रकिया अपनाकर,नियमों में अंकित प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थीनी संख्या 01 के हक में नियम 157(1)(ख) के तहत पट्टा विलेख दिनांक 06.11.2009 जारी किया है। जिसमें कोई अनियमितता एंव त्रुटि प्रतीत नहीं हुई है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी बलहीन एंव सारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय खुले न्यायालय कैम्प शिव में आज दिनांक 21.06.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर